रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082022-238429
CG-DL-E-27082022-238429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2022/भाद्र 5, 1944
No. 204] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2022/BHADRA 5, 1944

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022

नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/जल विद्युत स्टेशनों में उत्पादन और समय-निर्धारण में लोचनीयता के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयोग के लिए ग्रिड से संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

सं. 09/11/2021-आरसीएम-भाग(1).—

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्युत अधिनियम, 2003 ('अधिनियम') के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विद्युत खरीद लागत वितरण लाइसेंसधारकों के लिए सबसे बड़ा लागत घटक है। वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा बिजली की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद किए जाने से विद्युत की खरीद की समग्र लागत कम होने की संभावना है और इससे विद्युत बाजारों का विकास हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा होने से बिजली की कीमतों में कमी आई है और इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ है।

1.1.2 अधिनियम की धारा 61 और 62 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ विनियमन और बिजली के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178(2) के साथ पठित धारा 61 के परंतुक के अनुसार, फरवरी, 2012 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियम, 2012 से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें तैयार की गई थीं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रावधान है कि:-

"धारा 62 में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।"

1.1.3 विद्युत अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार किसी भी लाइसेंसधारक को विद्युत आपूर्ति कर सकती है और धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्यधीन किसी भी उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति कर सकती है।

1.1.4 विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के पत्र द्वारा विद्युत उत्पादन में और ताप विद्युत केन्द्रों के समय-निर्धारण तथा उत्पादन में लोचनीयता के लिए एक विस्तृत प्रणाली प्रस्तुत की है। इस तंत्र का उद्देश्य मंहगी ताप विद्युत के साथ सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की बंडलिंग करना है और संवितरण लाइसेंसधारकों की नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) का संवर्धन करना है। इसके बाद, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 12.04.2022 के आदेश द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से ताप/जल विद्युत स्टेशन के उत्पादन एवं समय-निर्धारण में लोचनीयता के लिए इस स्कीम को संशोधित किया गया।

1.2 उद्देश्य

1.2.1 इन दिशा-निर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

क) नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से ताप/जल विद्युत स्टेशनों में उत्पादन में समय-निर्धारण के लिए लोचनीयता स्कीम के अंतर्गत उपयोग के लिए ताप/जल विद्युत उत्पादकों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत सयंत्रों से विद्युत की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देना, उत्सर्जन को कम करना।

ख) खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखना।

ग) लोचनीयता स्कीम के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच प्रक्रियाओं एवं जोखिम-प्रतिभागिता ढांचे में मानकीकरण एवं एकसमानता प्रदान करना, जिसके परिणामस्वरूप, परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके, इनकी बैंकएबिलिटी में वृद्धि हो सके और निवेशकों के लाभ में बढ़ोतरी हो सके।

2. दिशा-निर्देशों का कार्यक्षेत्र

2.1 दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

2.1.1 यह दिशा-निर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 'खरीददारों' द्वारा ग्रिड से संबद्ध प्रत्येक **5 मेगावाट और उससे अधिक** की नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं **('परियोजनाओं')** से विद्युत की दीर्घकालिक खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।

व्याख्याः

(क) **'खरीददार':** जैसा कि प्रसंग में अपेक्षित है, 'खरीददार' शब्द से तात्पर्य तापीय/जलविद्युत उत्पादन कंपनी से होगा।

(ख) **खरीददार का 'प्राधिकृत प्रतिनिधि':** जिन मामलों में विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षरकर्त्ता कंपनी और निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी अलग-अलग हैं तो निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी 'खरीददार' की प्राधिकृत प्रतिनिधि मानी जाएगी और इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन तक बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि खरीददार द्वारा नियुक्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्षकार होगा। प्राधिकृत प्रतिनिधि को कोई ट्रेडिंग मार्जिन देय नहीं होगा।

2.1.2 इन दिशा-निर्देशों में जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, इन दिशा-निर्देशों के प्रावधान खरीददार और खरीददार के प्राधिकृत प्रतिनिधि पर बाध्यकारी होंगे। इन दिशा-निर्देशों से प्रस्तावित किसी भी विचलन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन दिशा-निर्देशों के खंड 18 में विनिर्दिष्ट है।

2.2 उपयुक्त आयोग:

2.2.1 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, विनियामक आयोग जिसके क्षेत्राधिकार में ताप/जल विद्युत उत्पादन स्टेशन जिसकी ऊर्जा को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, बोली लगाने के इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनार्थ उपयुक्त आयोग होगा।

3. बोली आमंत्रित करने और परियोजना की तैयारी की प्रक्रिया

3.1 खरीददार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगाः-

3.1.1 बोली दस्तावेजः

क) नीचे दिए गए उप-खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट को छोड़कर, सौर या पवन ऊर्जा की खरीद के लिए खरीददार को निर्णय करना होगा और इन दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली लगाने के दस्तावेज [जिसमें चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस), विद्युत क्रय करार (पीपीए) के आदर्श दस्तावेज अंतर्निहित हों] तैयार करने होंगे।

ख) बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के संबंध में उपयुक्त आयोग को सूचित करना।

ग) इन दिशा-निर्देशों के खंड 18 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों और/या एसबीडी से प्रारूप आरएफएस और प्रारूप पीपीए, में यदि कोई विचलन हो, उसके लिए उपयुक्त आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(i) तथापि, केंद्रीय सरकार द्वारा एसबीडी को अधिसूचित किए जाने तक, स्पष्टता के प्रयोजन से यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान उपलब्ध कराता है, जो दिशा-निर्देशों के अनुकूल हो, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान इन दिशा-निर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे, चाहे ये विस्तृत प्रावधान दिशा-निर्देशों में नहीं दिए गए हों।

(ii) इसके अतिरिक्त, चल रही बोली प्रक्रिया के मामले में, यदि इन दिशा-निर्देशों और/या एसबीडी की अधिसूचना से पूर्व बोलीदाता द्वारा पहले ही बोली प्रस्तुत कर दी गई हो, फिर यदि इन दिशा-निर्देशों और/या एसबीडी तथा प्रस्तावित आरएफएस, पीपीए के बीच कोई विचलन हो तो आरएफएस, पीपीए प्रचलित होगा।

घ) निम्नलिखित प्रासंगिक मंजूरी पत्र प्राप्त करना:

(i) खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यस्थल पर अवस्थित परियोजनाओं से खरीद के मामले में, भूमि के पट्टे के प्रारूप या प्रारूप पीपीए के अनुरूप अन्य भूमि संबंधी करारों पर तथा अन्य परियोजना करारों पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा मंजूरी।

(ii) खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए सौर पार्कों में अवस्थित परियोजनाओं से खरीद के मामले में प्रारूप पीपीए के अनुरूप कार्यान्वयन करार के लिए **सौर पार्क (सौर विद्युत पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी))** का विकास करने वाली एजेंसी द्वारा मंजूरी।

3.1.2 मंजूरियों सहित कार्य स्थल से संबंधित परियोजना तैयार करने संबंधी क्रियाकलाप

खरीदी जा रही विद्युत की आपूर्ति समय पर प्रारंभ करने की सुनिश्चितता के लिए और खरीददार के अटल इरादे के संबंध में बोलीदाता को आश्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इन दिशा-निर्देशों के खंड 3.2.1 एवं खंड 3.2.2 में उल्लिखित विभिन्न शुरुआती परियोजना क्रियाकलापों को समय पर निष्पादित किया जाए।

3.2 कार्यस्थल से संबंधित व्यवस्था

खरीददार द्वारा जारी किए जाने वाले बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार, परियोजना या तो खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए परियोजना स्थल पर अथवा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चयनित परियोजना स्थल पर लगाई जाएगी।

3.2.1 खरीददार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना कार्यस्थल : खरीददार किसी विनिर्दिष्ट कार्यस्थल पर परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा उसको बोली लगाने के दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में, विद्युत की आपूर्ति को समय पर चालू करने की सुनिश्चितता के लिए, खरीददार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न शुरुआती परियोजना क्रियाकलाप आरएफएस जारी करने से पूर्व खरीददार द्वारा प्रारंभ कर दिए जाएं। इन क्रियाकलापों को पीपीए निष्पादित करने से पूर्व पूरा करना आवश्यक होगा।

क) भूमि : 100 (सौ) प्रतिशत भूमि का निर्धारण और बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सैद्धांतिक रूप से इंगित करने वाले दस्तावेज/करारों का प्रावधान और पीपीए के निष्पादन के 1 (एक) माह के अंदर भूमि का 90 प्रतिशत (नब्बे प्रतिशत) कब्जा और उसके पश्चात 2 (दो) माह के अंदर शेष 10 (दस) प्रतिशत का कब्जा होना चाहिए।

ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/पर्यावरणीय मंजूरी (यदि लागू हो तो)।

ग) परियोजना की भूमि के लिए वन संबंधी मंजूरी (यदि लागू हो तो)।

घ) परियोजना के लिए अपेक्षित संबंधित प्राधिकारी से जल के लिए अनुमोदन (यदि लागू हो तो)

ङ) एसटीयू/सीटीयू से पत्र प्राप्त करना, जिसमें एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो, परंतु यह पत्र उन मामलों में आवश्यक नहीं है जहां संबद्ध एसटीयू/सीटीयू ने कनेक्टिविटी की व्यवहार्यता के लिए सब-स्टेशन वार क्षमताएं अधिसूचित कर दी हों।

3.2.2 सौर पार्क में खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया परियोजना स्थल : खरीददार समुचित अवसंरचना की विशिष्टियों के साथ और सुविधाओं के अभिगम वाले संकेन्द्रित क्षेत्र ('सौर पार्क') में परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा बोली लगाने के दस्तावेज में उसको निर्दिष्ट कर सकता है। सौर पार्क को एमएनआरई द्वारा जारी एवं संशोधित समय-समय पर किए गए "सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। इन सब बातों के होते हुए, विद्युत की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खरीददार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त खंड 3.2.1 (क) से (ङ) में इंगित किए गए परियोजना संबंधी विभिन्न शुरूआती क्रियाकलाप प्रारंभ कर दिए गए हैं और संबंधित एसपीपीडी द्वारा उनको उल्लिखित समय पर पूरे कर दिए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सौर पार्क विकासकर्ता के उत्तरदायित्व एमएनआरई द्वारा विकसित किए गए "सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" एवं कार्यान्वयन सहायक करार से व्युत्पन्न होने चाहिए जोकि सौर ऊर्जा पार्क के विकासकर्ता और सौर पार्क उत्पादक के बीच संबंध परिभाषित करते हैं।

3.2.3 नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चयनित परियोजना स्थल: यदि खरीददार स्थल अथवा सौर पार्क का उल्लेख नहीं करता और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा परियोजना स्थल का चयन किया जाता है तो बोलीदाता को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके और विद्युत की आपूर्ति शुरू हो सके:-

(क) **भूमि अधिग्रहणः** शुरू होने की अनुसूचित तारीख (एससीडी) को अथवा उससे पूर्व ऐसी अवधि, जो पीपीए की पूरी अवधि से कम न हो, के लिए दस्तावेज/पट्टा करार प्रस्तुत करना ताकि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के नाम से अपेक्षित भूमि के 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) उपयोग का अधिकार प्रमाणित हो। जहां कहीं भी निजी भूमि को पट्टे पर लेना शामिल हो, पट्टे में, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की चूक के मामले में, भूमि का पट्टाधिकार, ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित करने की अनुमति हो।

(ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/पर्यावरण मंजूरी (यदि लागू हो)।

(ग) परियोजना के लिए भूमि के लिए वन मंजूरी (यदि लागू हो)।

(घ) परियोजना के लिए संबंधित प्राधिकरण (यदि लागू हो) से जल के लिए आवश्यक अनुमोदन।

(ङ) राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू)/केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) [अथवा यदि चुना गया स्थल एक सौर पार्क है तो सौर विद्युत पार्क विकासकर्ता] का पत्र, जिसमें एसटीयू/सीटीयू सबस्टेशन से संयंत्र की संयोजकता की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो। यदि परियोजना स्थल खरीददार/अंतिम खरीददार के राज्य में ही स्थित है, तो राज्य सरकार संयंत्र की एसटीयू/सीटीयू सब स्टेशन से कनेक्टिविटी में आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी।

4. बोली की संरचना

4.1 बोली का पैकेज - बोलियों को पैकेज के रूप में डिजाइन किया जाएगा। पैमाने के आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पैमाने के पैकेज का न्यूनतम आकार 50 मेगावाट का होगा। बोलीदाता को संपूर्ण पैकेज के लिए उद्धरण देना होगा। खरीददार को अधिकतम क्षमता को विनिर्दिष्ट करने का चयन करना होगा जोकि किसी सहायकों सहित एकल बोली लगाने वाले को उसके पैमाने के आर्थिक पहलुओं, भूमि की उपलब्धता, संभावित प्रतिस्पर्धा और बाजार में विकास की आवश्यकता जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए आबंटित की जा सकती है।

4.2 विद्युत/ऊर्जा के संदर्भ में बोली : खरीददार क) विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भ में या ख) ऊर्जा के परिमाण (केवीएच या मिलियन यूनिट अर्थात एमयू) के संदर्भ में बोलियाँ आमंत्रित कर सकता है।

4.3 बोली मापदंड : विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ, बोली लगाने के मापदंड के रूप में लागू 'टैरिफ' होगा।

4.3.1 बोली लगाने के मापदंड के रूप में टैरिफ - खरीददार निम्नलिखित प्रकार की टैरिफ आधारित बोली लगा सकता है: क) पीपीए की अवधि के लिए रूपये/केडब्ल्यूएच में नियत टैरिफ या ख) रूपये/केडब्ल्यूएच में नियत वार्षिक बढ़ोतरी की पूर्व निर्धारित मात्रा के साथ रूपये/केडब्ल्यूएच में बढ़ता हुआ टैरिफ और उन वर्षों की संख्या जिनके पश्चात् इस प्रकार के बढ़ते हुए टैरिफ का प्रावधान किया जाएगा।

5. विद्युत क्रय करार

आरएफएस के साथ-साथ, सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे,

5.1 पीपीए अवधि: चूंकि पीपीए अवधि, निवेशक/नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत विकासकर्ता को वापस प्राप्त होने वाले निवेश की अवधि निर्धारित करके टैरिफ को प्रभावित करती है, अतः पीपीए अवधि ताप/जलविद्युत संयंत्र की शेष कार्यावधि के आधार पर शैड्यूल्ड कमीशनिंग डेट (एससीडी) से 25 (पच्चीस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि भूमि और बुनियादी अवसंरचना के स्वामित्व वाली एजेंसियों, संबंधित पारेषण यूटिलिटी और प्रणाली संचालकों के पास ऐसी व्यवस्थाएं हों तो पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों को अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट है, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां खरीददार द्वारा परियोजना स्थल को सौर पार्क में अथवा अन्यथा स्थित होने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उन मामलों में खरीददारों का दायित्व खंड 3.2.1 और 3.2.2 के अनुसार भूमि की व्यवस्था करने हेतु पीपीए अवधि तक सीमित होगा।

5.2 खरीदी जाने वाली विद्युत/ऊर्जा की मात्रा - खरीदी जाने वाली विद्युत, विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में या ऊर्जा (केडब्ल्यूएच या मिलियन यूनिट अर्थात एमयू) के संदर्भ में होगी। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक यदि चाहे तो, ताप/जल विद्युत उत्पादक द्वारा निर्दिष्ट की गई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली अधिष्ठापित कर सकता है।

5.2.1 विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में खरीद:

(क) विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में खरीद के मामले में, क्षमता उपयोगिता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्तावेज में इंगित किया जाएगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी। यदि किसी मामले में, परियोजना न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूपी ऊर्जा से कम ऊर्जा का उत्पादन एवं आपूर्ति करती है तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक इस प्रकार से संविदात्मक सीयूएफ स्तर से कम उपलब्धता के लिए खरीददार को कमी हेतु अनुदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के दंड की राशि पीपीए की अवधि के अनुसार होगी जोकि यह सुनिश्चित करेगा कि खरीददार पीपीए के अंतर्गत विद्युत के कम उत्पादन एवं आपूर्ति से संबद्ध समस्त संभावित लागतों की प्रतिपूर्ति करेगा जोकि पीपीए टैरिफ पर आकलित ऊर्जा के संदर्भ में इस कमी की लागत के कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत के अध्यधीन होगी।

(ख) यदि किसी मामले में विद्युत की उपलब्धता निर्दिष्ट अधिकतम सीयूएफ से अधिक है तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक इसको किसी अन्य कंपनी को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि इसको मना करने का

प्रथम अधिकार खरीददार (खरीददारों) के पास होगा। यदि किसी मामले में, खरीददार विद्युत उत्पादन की अधिक मात्रा को खरीद लेता है तो वह उसको पीपीए टैरिफ के 75 (पञ्चहत्तर) प्रतिशत पर खरीदेगा और आरएफएस दस्तावेज में इस आशय का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाएगा।

5.2.2 रि-पावरिंग : नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक पीपीए अवधि के दौरान समय-समय पर अपने संयंत्रों को रि-पावर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तथापि, खरीददार केवल पीपीए में विनिर्दिष्ट सीयूएफ (या सीईक्यू, जैसा कि प्रासंगिक हो) की रेंज में ही विद्युत की खरीद के लिए बाध्य होंगे। किसी भी प्रकार के अधिक उत्पादन का निपटान इन दिशा-निर्देशों के खंड 5.2.1 (ख) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार किया जाएगा।

5.3 भुगतान सुरक्षा

खरीददार निम्नानुसार पर्याप्त भुगतान सुरक्षा उपाय प्रदान करेगाः

खरीददार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को निम्नलिखित के माध्यम से भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगाः

रिवॉल्विंग लैटर ऑफ क्रेडिट (एलसी), जो विचाराधीन परियोजना से न्यूनतम 1 (एक) माह के औसत बिल की राशि से कम का न हो;

अथवा

विद्युत अधिनियम, 2003, के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों (यदि कोई हो) में यथानिर्धारित हो।

5.4 अप्रत्याशित घटना

5.4.1 अप्रत्याशित घटना की परिभाषाः 'अप्रत्याशित घटना' (एफएम) से तात्पर्य निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों, घटनाओं या परिस्थितियों या तत्संबंधी कार्यों, घटनाओं या परिस्थितियों के परिणाम (परिणामों) के संयोजन से है, जो पक्षकार (प्रभावित पक्षकार) द्वारा प्रासंगिक विद्युत क्रय करार के तहत इसके दायित्वों के पूर्ण या आंशिक निष्पादन को रोकता है या पक्षकार द्वारा निष्पादन में अपरिहार्य विलंब करता है, लेकिन केवल तभी तक और जब तक कि इस तरह की घटनाएं या परिस्थितियां प्रभावित पक्षकार के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समुचित नियंत्रण में न हों और यदि प्रभावित पक्षकार द्वारा उचित ध्यान दिए जाने या विवेकपूर्ण यूटिलिटी प्रक्रियाओं का अनुपालन किए जाने पर इससे बचा नहीं जा सकता हो।

5.4.2 अप्रत्याशित घटनाओं का श्रेणीकरण:

5.4.2.1 प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना

(क) दैवीय घटना, इन्हीं तक सीमित न रहते हुए, जिसमें बिजली गिरना, आग लगना और विस्फोट होना (कार्य स्थल के बाह्य स्रोत के मूल स्रोत तक), भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटन, सूखा, भूस्खलन, बाढ, चक्रवात, तूफान या बवंडर शामिल हैं, यदि इसे सक्षम राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरण/एजेंसी (जो भी लागू हो) द्वारा घोषित/अधिसूचित किया जाता है, या खरीददार की संतुष्टि होने तक इसको सत्यापित किया जाता है;

(ख) भारत में किसी स्रोत या उपर्युक्त वर्णित किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न रेडियोधर्मी प्रदूषण अथवा आयनीकरण विकिरण, जिसमें ऐसी परिस्थितियां शामिल नहीं हैं, जहां प्रदूषण अथवा विकिरण के स्रोत अथवा कारण को प्रभावित पक्षकार अथवा प्रभावित पक्षकार या उसके संविदाकारों द्वारा नियोजित या प्रभावित पक्षकार द्वारा अनुबंधित व्यक्तियों द्वारा विद्युत परियोजना तक या उसके निकट लाया जाता है या लाया गया है;

(ग) परियोजना भूमि पर भूगर्भीय स्थितियों, विषाक्त संदूषक या पुरातात्विक अवशेषों का पता चलना, जिसकी परियोजना भूमि के निरीक्षण के माध्यम से उचित रूप से पता चलने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी; अथवा

(घ) किसी भी पूर्वगामी घटना की प्रकृति के अनुरूप कोई प्राकृतिक घटना या परिस्थितियां।

5.4.2.2 गैर-प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना

(क) युद्ध की कोई भी कार्रवाई (घोषित या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्रवाई, नाकाबंदी, व्यापार संबंधी रोक, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकी या सैन्य कार्रवाई;

(ख) राष्ट्र/राज्य-व्यापी हड़ताल, तालाबंदी, बहिष्कार या अन्य औद्योगिक विवाद, जिसके लिए प्रभावित पक्षकार के कार्य सीधे और पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं हैं, परंतु इसमें प्रभावित पक्षकार या उनके ठेकेदारों तक सीमित हड़ताल या मजदूर अशांति शामिल नहीं है;

(ग) राष्ट्रीयकरण या देशहित में किसी भी भारतीय सरकारी माध्यम/राज्य सरकार द्वारा किसी भी अनिवार्य अधिग्रहण या किसी भी भौतिक परियोजना की संपत्ति या उत्पादक के अधिकारों का अधिग्रहण, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादक या इसके शेयरधारक विद्युत क्रय करार के तहत अपने अधिकारों या पात्रता (पूर्ण या आंशिक रूप) से वंचित हों। बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई में उत्पादक द्वारा या उत्पादक संबंधी पक्षकारों द्वारा किसी भी लागू कानून या परमिट के उल्लंघन के परिणामस्वरूप खरीददार या अन्य किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा समाधान या कानूनी रूप से लगाए गए प्रतिबंध शामिल नहीं है।

(घ) किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा ठोस प्रतिकूल प्रभाव वाली कार्रवाई जिसमें कानून में परिवर्तन तो शामिल है लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है, केवल तब यदि इसके परिणामों को इन दिशा-निर्देशों के खंड 5.7 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया नहीं जा सकता; किसी भी गैरकानूनी या अनधिकृत या बिना अधिकार क्षेत्र के उत्पादक के किसी परमिट या किसी भी मंजूरी, लाइसेंस, संबंधित पीपीए और/या परियोजना दस्तावेजों के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने में निरसन या देरी या इन्कार, या बिना किसी कारण के नवीनीकरण या स्वीकृति के लिए विफलता, बशर्ते कि ऐसा विलम्ब, संशोधन, इन्कार या निरस्तीकरण उत्पादक या किसी ठेकेदार की, ऐसे परमिट या मंजूरी, लाइसेंस, प्राधिकार, जैसा भी मामला हो, के रखरखाव या नवीकरण के संबंध में किसी शर्त के अनुपालन करने में असमर्थता या विफलता के परिणामस्वरूप न हुआ हो।

स्पष्टीकरणः वाक्यांश "कानून में परिवर्तन" में कानून, नियमों, विनियमों अथवा सक्षम अधिकारियों के आदेशों में परिवर्तन के माध्यम से किए गए परिवर्तन शामिल होंगे।

5.4.3 अप्रत्याशित घटना में शामिल न होने वाली घटनाएं

5.4.3.1 अप्रत्याशित घटना में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगी (i) ऐसी घटना या परिस्थिति, जो पक्षकारों के समुचित नियंत्रण में हो और (ii) अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप घटित हुई स्थितियों को छोड़कर, निम्नलिखित स्थितियां:

(क) विद्युत परियोजना के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सामग्रियों, कलपुर्जों या उपभोग्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, देरी से वितरण या लागतों में परिवर्तन;

(ख) किसी ठेकेदार, उप-ठेकेदार या उनके एजेंटों द्वारा कार्य निष्पादन में देरी;

(ग) विद्युत उत्पादन सामग्रियों और उपकरणों में कार्य निष्पादन के दौरान किसी सामान्य टूट-फूट के चलते कार्य निष्पादन न होना;

(घ) प्रभावित पक्षकार के स्थलों पर हड़ताल;

(ङ) वित्त या निधियों की अपर्याप्तता या करार का निष्पादन कठिन होना; और

(च) प्रभावित पक्षकार के कारण:

(i) लापरवाह अथवा जानबूझकर किए गए कार्य, त्रुटियाँ अथवा चूक;

(ii) भारतीय कानून का अनुपालन करने में विफलता; अथवा

(iii) इस करार के तहत उल्लंघन या चूक के कारण उससे संबद्ध कार्य का निष्पादन नहीं होना।

5.4.4 अप्रत्याशित घटना की अधिसूचना

5.4.4.1 प्रभावित पक्षकार अन्य पक्षकार को किसी अप्रत्याशित घटना की सूचना यथोचित व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द देगा, परंतु यह सूचना जिस तिथि को उस पक्षकार को अप्रत्याशित घटना शुरु होने का पता चले या तर्कसंगत रूप से पता चलना चाहिए था, उस तिथि के अधिकतम सात (7) दिनों के भीतर भेजी जाएगी। यदि किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था भंग होती है, जिससे लागू समय-सीमा में नोटिस देना अव्यवहार्य हो जाता है, तो अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्षकार संचार व्यवस्था की बहाली होने के बाद समुचित रुप से जल्द से जल्द नोटिस देगा, परंतु ऐसा संचार व्यवस्था की बहाली से एक (1) दिन से अधिक की देरी से नहीं होगा।

5.4.4.2 परन्तु इस तरह की सूचना पीपीए के तहत राहत का दावा करने के लिए प्रभावित पक्षकार की योग्यता के लिए एक पूर्व-निर्धारित शर्त होगी। इस तरह की सूचना में अप्रत्याशित घटना का पूर्ण विवरण, राहत का दावा करने वाले पक्षकार पर इसके प्रभाव और प्रस्तावित उपाय शामिल होंगे। प्रभावित पक्षकार अन्य पक्षकार को ऐसे निवारक उपायों और ऐसी अन्य सूचना, जिसके लिए अन्य पक्षकार अप्रत्याशित घटना के बारे में समुचित अनुरोध कर सकता है, की प्रगति की नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट देगा।

5.4.4.3 प्रभावित पक्षकार अन्य पक्षकार को (i) प्रासंगिक अप्रत्याशित घटना के रुकने; और (ii) पीपीए के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के निष्पादन पर ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों की समाप्ति होने पर इनमें से प्रत्येक के बारे में जानकारी मिलने पर यथासंभव शीघ्र सूचना देगा ।

5.4.5 निष्पादन से छूट

5.4.5.1 प्रभावित पक्षकार को अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप पीपीए के तहत अपनी बाध्यता या आंशिक बाध्यता का निष्पादन करने में किसी हद तक असमर्थ होने की स्थिति में बाध्यताओं का निष्पादन करने से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि यह अवधि एफएम नोटिस जारी होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न हो। ये पक्षकार पारस्परिक रूप से अवधि का विस्तार करने पर परस्पर सहमत हो सकते हैं जिसके लिए अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादन से छूट दी गई है।

5.4.5.2 दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत समयावधि, जिसके दौरान कार्य निष्पादन से छूट दी जाएगी, के लिए उत्पादक वित्तीय समापन की अवधि या चालू होने की निर्धारित तिथि या पीपीए अवधि, जैसा भी मामला हो, में दैनिक आधार पर विस्तार के लिए हकदार होगा।

5.4.5.3 परन्तु प्राय: किसी पक्षकार को उसके कार्य निष्पादन में उस सीमा तक छूट दी जाएगी जहां तक कि वह तर्कसंगत रूप से अप्रत्याशित घटना से संबद्ध हो।

5.4.5.4 परंतु, इसके अलावा, प्रभावित पक्षकार को अप्रत्याशित घटना घटित होने से पूर्व देय किसी भुगतान दायित्वों से कोई छूट नहीं होगी।

5.4.6 अन्य हानियों के लिए कोई देयता नहीं

इन दिशा-निर्देशों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, किसी भी पक्षकार की किसी भी प्रकार से किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या या उसकी मौजूदगी होने के संबंध में उत्पन्न किसी हानि के संबंध में अन्य पक्षकारों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5.4.7 कार्य निष्पादन की पुन: शुरुआत

अप्रत्याशित घटना जारी रहने की अवधि के दौरान, प्रभावित पक्षकार, अन्य पक्षकारों के परामर्श से पीपीए के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने या उसे सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा। प्रभावित पक्षकार इस करार के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन जल्द से जल्द फिर से शुरु करने के लिए प्रयास करेगा और शुरुआत होने पर अन्य पक्षकारों को इस संबंध में लिखित में सूचित करेगा। अन्य पक्षकार इस संबंध में प्रभावित पक्षकार को सभी उचित सहायता प्रदान करेंगे।

5.4.8 अप्रत्याशित घटना के कारण निरस्तीकरण

5.4.8.1 प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना के कारण निरस्तीकरण

(क) यदि, अप्रत्याशित घटना का नोटिस जारी करने की तिथि से प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना के लिए 180 (एक सौ अस्सी) दिन की अवधि (या कोई विस्तारित अवधि) पूरी होने से पूर्व, पक्षकारों का तर्कसंगत विचार हो कि अप्रत्याशित घटना 180 (एक सौ अस्सी) दिन की इस अवधि या अनुच्छेद 5.4.5 (निष्पादन से छूट) के अनुसरण में सहमत किसी विस्तारित अवधि से आगे जारी रहने की संभावना है; या यह कि प्रभावित इकाई को बहाल करना गैर-किफायती या अव्यवहार्य है, तो पक्षकार पारस्परिक रूप से पीपीए को निरस्त करने का निर्णय ले सकते हैं और यह निरस्तीकरण उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से ऐसा निर्णय लिया गया हो।

(ख) उपरोक्त अनुच्छेद 5.4.8.1(क) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभावित पक्षकार, 180 (एक सौ अस्सी) दिन या अन्य किसी परस्पर विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद, पीपीए को अपने पूर्ण विवेक से इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए तत्काल निरस्त करने का पात्र होगा।

(ग) अनुच्छेद 5.4.8.1(ख) के अनुसरण में पीपीए का निरस्तीकरण होने पर :

(i) उत्पादक को कोई निरस्तीकरण मुआवजा देय नहीं होगा;

(ii) उत्पादक अप्रत्याशित घटना होने से पूर्व बकाया मासिक बिलों के तहत निर्विवाद भुगतान का पात्र होगा।

5.4.8.2 गैर-प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना के कारण निरस्तीकरण

(क) गैर-प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना होने पर, उत्पादक को, अप्रत्याशित घटना के नोटिस की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि पूर्ण होने के बाद अपने विवेक से पीपीए को तत्काल निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ख) 5.4.8.2(क) के अनुसरण में पीपीए को निरस्त करने पर, अनुच्छेद 5.4.6 में किसी बात के होते हुए भी-

(i) खरीददार उत्पादक को, इन दिशा-निर्देशों में यथापरिभाषित, 'अप्रत्याशित घटना निरस्तीकरण मुआवजा' के रूप में देय ऋण राशि के बराबर की धनराशि और समायोजित इक्विटी का 110% (एक सौ दस प्रतिशत) अदा करेगा और परियोजना संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा।

(ii) उत्पादक अप्रत्याशित घटना होने से पूर्व बकाया मासिक बिल (बिलों) के तहत निर्विवाद भुगतान का पात्र होगा।"

5.5 ऑफटेक बाध्यताओं के लिए उत्पादन मुआवजाः

5.5.1 पारेषण अवसंरचना/ग्रिड की अनुपलब्धता के कारण ऑफटेक संबंधी बाधाएँ:

संयंत्र को चालू करने की अनुसूचित तारीख के पश्चात, यदि संयंत्र तैयार है परन्तु विद्युत निकासी/पारेषण_अवसंरचना तैयार नहीं है, जिसके लिए नवीकरणीय विद्युत उत्पादक उत्तरदायी नहीं है, तो इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए चालू करने की अनुसूचित तारीख, डिलीवरी बिन्दु एवं विद्युत निकासी अवसंरचना के तैयार होने के बाद 30वें दिन की तिथि के रूप में संशोधित की जा सकती है। खरीददार द्वारा उपर्युक्त घटक के कारण किए जाने वाले अपेक्षित विस्तार पर प्रत्येक मामले के आधार पर मामले की जांच के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

अथवा

नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।

5.5.2 "बैकडाउन के कारण ऑफटेक बाध्यताएं:

क) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक और खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में जारी विनियमनों के तहत पूर्वानुमान और शिड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र, जो कि विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसार परिभाषित मस्ट-रन विद्युत संयंत्र के रूप में योग्य विद्युत संयंत्र को नियम के प्रावधानों के अनुसार खरीददार द्वारा बैक डाउन करने का निर्देश

नहीं दिया जाएगा। बैकडाउन की ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के मामले में, उन मामलों को छोड़कर जहां बैकडाउन ग्रिड सुरक्षा अथवा किसी उपकरण अथवा कर्मियों की सुरक्षा अथवा ऐसी अन्य शर्तों के कारण होता है, खरीददार से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक, नीचे दिए गए तरीके से, न्यूनतम उत्पादन मुआवजे के लिए पात्र होगा।

बैकडाउन की अवधि	**उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान**
मासिक बिलिंग चक्र के दौरान बैकडाउन के घंटे।	***न्यूनतम उत्पादन मुआवजा =*** ***100% [(माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन) × (महीने के दौरान बैकडाउन घंटों की संख्या) × पीपीए टैरिफ]*** *जहां, माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन (केडब्ल्यूएच) = माह में कुल उत्पादन (केडब्ल्यूएच) ÷ माह में उत्पादन के कुल घंटे*

ख) उत्पादन मुआवजे का भुगतान क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) की प्राप्ति के बाद अगले माह के लिए ऊर्जा बिल के हिस्से के रूप में किया जाना है। बैकडाउन उद्देश्यों के कारण, उत्पादन मुआवजे के अपवर्जन के लिए संभावित शर्तों को आरएफएस और पीपीए में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

ग) इसके लिए औपचारिक/लिखित निर्देश दिए बिना कोई बैक-डाउन/कटौती का आदेश नहीं दिया जाएगा।

5.6 चूक की स्थिति और उसके परिणाम

यद्यपि संबंधित पक्षकारों की चूक की स्थिति और इसके परिणामों के संबंध में विस्तृत प्रावधान एसबीडी में वर्णित होंगे, इस खंड में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक और खरीददार (मध्यस्थ खरीददार को छोड़कर) की चूक से निपटने के लिए संविदा के अनुरूप व्यापक सिद्धांत शामिल हैं।

5.6.1 उत्पादक की चूक स्थिति तथा उसके परिणाम

(क) यदि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक विनिर्दिष्ट समय अवधि के अंदर विद्युत संयंत्र चालू करने में असफल रहता है या पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत आपूर्ति करने में विफल होता है अथवा पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने अधिकारों या दायित्वों का निर्वहन करता है या परित्याग करता है अथवा पीपीए के प्रावधानों का उल्लंघन करके अपने प्रमोटरों के नियंत्रण या हिस्सेदारी में परिवर्तन करता है या पीपीए में यथा निर्धारित अन्य कार्य अथवा चूक करता है और पीपीए में यथा निहित उपचार अवधि के भीतर उपर्युक्त किसी का भी हल निकालने में असमर्थ होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की चूक मानी जाएगी।

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में, विनिर्दिष्ट समय अवधि के अंदर चालू करने में विफलता के लिए इन दिशा-निर्देशों के अनुसार खंड 14.3 तथा पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत आपूर्ति न कर पाने के लिए खंड 5.2.1(क) में उल्लिखित क्षति के लिए खरीददार को भुगतान करना पड़ेगा। अन्य मामलों में, खरीददार को उनके प्रभारों की अनुबंधित क्षमता के लिए 6 (छह) माह के समान या पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए क्षति का भुगतान करना होगा। खरीददार को अधिकार होगा कि वह किसी भी अन्य कानूनी प्रक्रिया या उपचार के उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, जब्त करके उक्त राशियों की वसूली करे।

(ग) उपर्युक्त क्षतियों की वसूली के अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की चूक की स्थिति में ऋणदाता, पीपीए में विनिर्दिष्ट प्रतिस्थापन करार तथा खरीददारों की सहमति के अनुसार प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा, तथापि, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऋणदाता चूककर्त्ता नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के प्रतिस्थापन में असमर्थ होने पर खरीददार पीपीए को रद्द कर सकता है तथा खरीददार देय ऋण के 90 प्रतिशत के बराबर की राशि के लिए परियोजनाओं की परिसंपत्तियाँ अधिगृहीत कर सकता है, ऐसा न कर पाने पर ऋणदाता अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तथा परियोजना परिसंपत्तियों को बेच सकता है।